जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 25 जून 2021

जेडीए में सक्रिय विज्ञापन माफिया!!!

भाग-7

जेडीए के अधिकारी विज्ञापनों के नाम पर लगा रहे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपयों का चूना!!!

मोटे कमीशन का खेला जा रहा खेल!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

17 / 2019-20

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

SCHEDULE "E"

[illegible] & OFFICE EXPENDITURE FOR THE YEAR 2019-20

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT 2018-19	AMOUNT 2019-20
1	ADVERTISEMENT & PUBLICITY	99342067	186018771
2	[illegible] FUND DEPTT. & OTHERS	2176000	
3	BOOKS & PERIODICALS	548743	[illegible]
4	CONSULTANCY SERVICES & JOB WORK OF COMPUTERISATION PROJECT & OTHERS	48820619	73898837
5	PAYMENT OF FEES TO AUDITORS	479316	395999
6	FEE FOR TAX MATTERS/APPEALS TO AUDITORS	780334	631654
7	CONVEYANCE CHARGES	2156025	2304075
8	ENTERTAINMENT EXP.	2210557	1500043
9	SECURITY GUARDS AND GENERAL DUTY GUARDS	116810503	115555785
10	LEGAL/ ADVOCATE FEES / EXPENSES	17285863	19339813
11	LIVERIES AND UNIFORM ETC. AND STAFF WELFARE	363723	1190841
12	RUNNING AND MAINTENANCE OF VEHICLES INCLUDING CONTRACT VEHICLES	54919679	55092071
13	**OTHER ITEM EXP /MISC. EXPENSES**	0	89600
	CONTRIBUTION FOR DEVELOPMENT/ AWARENESS	5393800	5101257
	CLEANING EXPENSES	67487	51827
	ORDERLY ALLOWANCES	929583	612394
	POSTAGE/TELEGRAM	8348385	16756358
	LEAVE ENCASHMENT	534470	207142
	SEMINAR & CONFERENCE PAYMENTS	8257657	4536065
	TENT'S EXPENSES FOR CAMP/ SCHEMES etc	1310371	1629560
14	TRAVELIING EXPENSES-TOUR AND TRAVEL (INCLUDING FOREIGN TOUR)	4441377	3350500
15	TELEPHONE EXPENSES INCL.LEASE LINE, PRO CALL etc.	41310615	35958162
16	RENT INCLUDING LIGHT & WATER	495435	407301
17	REPAIR AND MAINTENANCE OF FURNITURE AND OFFICE EQUIPMENT	11235197	8805861
18	STATIONERY AND PRINTING	1660412	2437500
19	COMPENSATION PAID		

Dy. Director Exp. & Bud.
Jaipur Development Authority Jaipur

निदेशक (वित्त)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHYAM L. AGARWAL & CO.
JAIPUR FRN 001723C
Chartered Accountants

क्या है पूरा मामला?

विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार,वित्तीय वर्ष 2019-20 में जे.डी.ए. द्वारा विज्ञापनों और प्रचार प्रसार हेतु 18.60 करोड़ खर्च किए गए जो कि पिछले साल की वनिस्पत दुगुनी रकम थी|यह खर्चा उस समय किया गया जब सरकार सभी सरकारी विभागों से अपने खर्चों मे कटौती करने के फरमान जारी कर रही थी|सवाल यह खड़ा होता है कि जेडीए द्वारा इतना पैसा कहाँ खर्च किया गया और क्या खर्च किए गए पैसे का रिटर्न भी मिला या फिर यह पैसा भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों की जेब मे चला गया|इस मामले मे अधिक पड़ताल के लिए हमारे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जेडीए के जन संपर्क अधिकारी श्री नवल किशोर मीणा के यहा सूचना आवेदन प्रस्तुत किया|

परंतु हमारे इस सूचना आवेदन के संदर्भ मे जेडीए के विद्वान जन संपर्क अधिकारी श्री नवल किशोर मीणा द्वारा बड़ा रोचक जवाब देकर सूचना देने से मना कर दिया,अपने जवाब मे श्री मीणा फरमाते है कि मेरे सूचना आवेदन के संबंध मे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है|

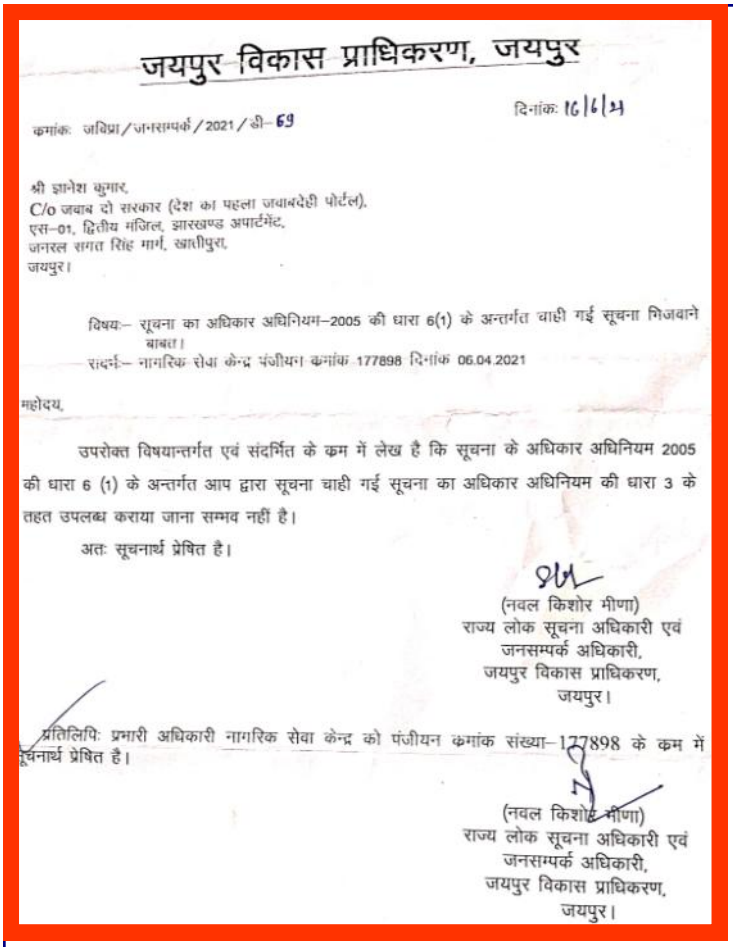

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 16/6/21

क्रमांक: जविप्रा/जनसम्पर्क/2021/डी-69

श्री ज्ञानेश कुमार,
C/o जवाब दो सरकार (देश का पहला जवाबदेही पोर्टल),
एस-01, द्वितीय मंजिल, झारखण्ड अपार्टमेंट,
जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा,
जयपुर।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना गिजबाने बाबत।
संदर्भः- नागरिक सेवा केन्द्र पंजीयन क्रमांक 177898 दिनांक 06.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित के क्रम में लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आप द्वारा सूचना चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

(नवल किशोर मीणा)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र को पंजीयन क्रमांक संख्या-177898 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(नवल किशोर मीणा)
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है,अब या तो जेडीए के विद्वान जन संपर्क अधिकारी श्री नवल किशोर मीणा मेरी नागरिकता पर सवाल खड़े कर रहे है या फिर अपनी पोल नहीं खुलने का बहाना ढूंढ रहे है|आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत ही लोक सूचना अधिकारी किसी नागरिक को सूचना देने से इंकार कर सकता है परंतु लगता है जेडीए के विद्वान जन संपर्क अधिकारी श्री नवल किशोर मीणा किसी दूसरे देश के सूचना के अधिकार का अध्यन करके आए है|अमूमन देखा गया है कि जब किसी भ्रष्ट अधिकारी की पोल खुलने वाली होती है तो वह इसी प्रकार के ऊटपटाँग जवाब देकर सूचना आवेदक को गुमराह करने का प्रयास करता है|

जेडीए मे सक्रिय विज्ञापन माफिया

बहरहाल हम बात जेडीए मे सक्रिय विज्ञापन माफियाओं की कर रहे है|आपको बता दें कि राज्य के अन्य विभागों की तरह जेडीए मे भी विज्ञापन माफिया सक्रिय है,जो कि ऐसे अखबारों की दलाली करते है जिनकी ना तो प्रसार संख्या है और ना ही पूरे राजस्थान मे कोई अस्तित्व|इतना ही नहीं इन समाचार पत्रों को डीआईपीआर/डीएवीपी रेट ना देकर कई गुना व्यवसायिक दर पर विज्ञापन जारी कर लाखो/करोड़ो रुपयों के सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है|जेडीए पूर्व आयुक्त श्री टी रविकांत के समय तत्कालीन जन संपर्क अधिकारी श्री सीताराम मीणा द्वारा न्यू इंडियन एक्सप्रेस नामक समाचार पत्र को करोड़ो रुपए के विज्ञापन दिये गए|जबकि यह समाचार पत्र जेडीए के रोस्टर मे शामिल ही नहीं है,सवाल यह उठता है की नितांत दक्षिणभाषी समाचार पत्र न्यू इंडियन एक्सप्रेस,जो कि आंध्रप्रदेश,तमिलनाडू मे ही सक्रिय है, को करोड़ो रुपए के विज्ञापन देने का क्या तुक था,जानकारों के अनुसार जेडीए के अधिकारी ऐसी कृपा मोटा कमीशन मिलने पर ही अपने चहेते समाचार पत्रों पर बरसाते है|बहरहाल तत्कालीन जन संपर्क अधिकारी महोदय तो अब रिटायर्ड हो गए है परंतु अब दलाल के रूप मे यहा सक्रिय हो गए है,इनके इशारों पर कई समय से टीके हुए संविदाकर्मी विवेक जेडीए का सारा नंबर दो का काम संभाल रहा है,टेकाकर्मी विवेक की अखबार माफियाओं से साँठ-गांठ की कई बार शिकायत भी की जा चुकी है परंतु इन लोगो का सिंडीकेट इतना तगड़ा है कि इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी मे फेंक दिया जाता है|जानकारों के अनुसार एक अन्य दलाल जो कि एक साथ कई अखबारों को जेडीए से विज्ञापन दिलाने का ठेका लेता है,इन महाशय की राजस्थान संवाद के एक आला अधिकारी के साथ रोज की उठबैठ है|यदि इन सब के फोन कालो की जांच की जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा|

भ्रष्ट अधिकारियों,दलालों और समाचार पत्रों के गठजोड़ के काले कारनामों का खुलासा अगले अंकों मे जारी.....

पोर्टल के चीफ एडिटर की अनुमति पश्चात कोई भी समाचार पत्र-पत्रिका,न्यूज एजेंसी इस रिपोर्ट या इसके अंश को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है|

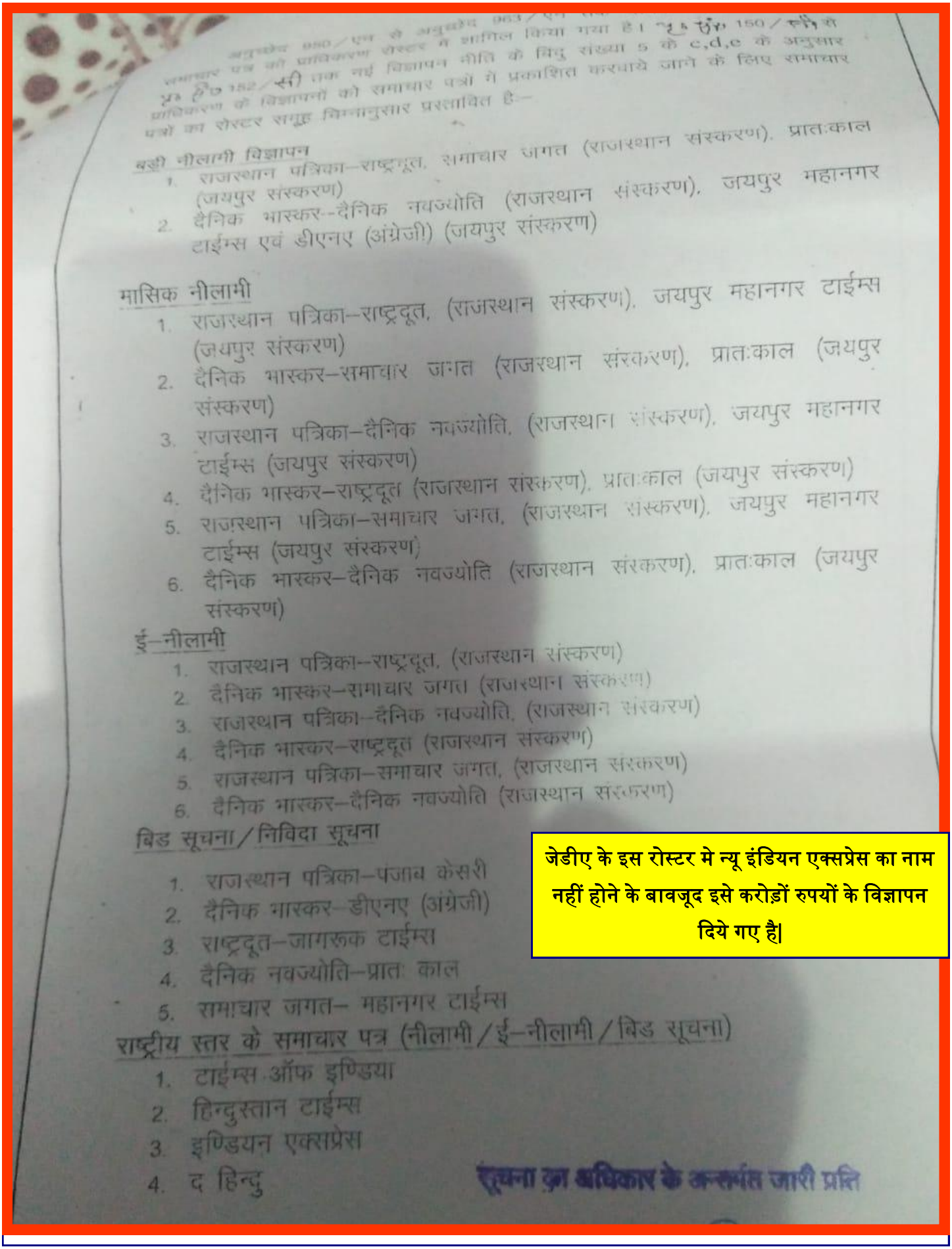

अनुच्छेद 983/एम ... अनुच्छेद 980/एम से ... रोस्टर में शामिल किया गया है। ... 150/... समाचार पत्र की प्राधिकरण ... नीति के बिंदु संख्या 5 के c,d,e के अनुसार ... 152/सी एक नई विज्ञापन ... समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये जाने के लिए समाचार प्राधिकरण के विज्ञापनों को ... पत्रों का रोस्टर समूह निम्नानुसार प्रस्तावित है—

<u>बड़ी नीलामी विज्ञापन</u>

1. राजस्थान पत्रिका—राष्ट्रदूत, समाचार जगत (राजस्थान संस्करण), प्रातःकाल (जयपुर संस्करण)
2. दैनिक भास्कर—दैनिक नवज्योति (राजस्थान संस्करण), जयपुर महानगर टाईम्स एवं डीएनए (अंग्रेजी) (जयपुर संस्करण)

<u>मासिक नीलामी</u>

1. राजस्थान पत्रिका—राष्ट्रदूत, (राजस्थान संस्करण), जयपुर महानगर टाईम्स (जयपुर संस्करण)
2. दैनिक भास्कर—समाचार जगत (राजस्थान संस्करण), प्रातःकाल (जयपुर संस्करण)
3. राजस्थान पत्रिका—दैनिक नवज्योति, (राजस्थान संस्करण), जयपुर महानगर टाईम्स (जयपुर संस्करण)
4. दैनिक भास्कर—राष्ट्रदूत (राजस्थान संस्करण), प्रातःकाल (जयपुर संस्करण)
5. राजस्थान पत्रिका—समाचार जगत, (राजस्थान संस्करण), जयपुर महानगर टाईम्स (जयपुर संस्करण)
6. दैनिक भास्कर—दैनिक नवज्योति (राजस्थान संस्करण), प्रातःकाल (जयपुर संस्करण)

<u>ई—नीलामी</u>

1. राजस्थान पत्रिका—राष्ट्रदूत, (राजस्थान संस्करण)
2. दैनिक भास्कर—समाचार जगत (राजस्थान संस्करण)
3. राजस्थान पत्रिका—दैनिक नवज्योति, (राजस्थान संस्करण)
4. दैनिक भास्कर—राष्ट्रदूत (राजस्थान संस्करण)
5. राजस्थान पत्रिका—समाचार जगत, (राजस्थान संस्करण)
6. दैनिक भास्कर—दैनिक नवज्योति (राजस्थान संस्करण)

<u>बिड सूचना/निविदा सूचना</u>

1. राजस्थान पत्रिका—पंजाब केसरी
2. दैनिक भास्कर—डीएनए (अंग्रेजी)
3. राष्ट्रदूत—जागरूक टाईम्स
4. दैनिक नवज्योति—प्रातः काल
5. समाचार जगत— महानगर टाईम्स

<u>राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र (नीलामी/ई—नीलामी/बिड सूचना)</u>

1. टाईम्स ऑफ इण्डिया
2. हिन्दुस्तान टाईम्स
3. इण्डियन एक्सप्रेस
4. द हिन्दु

सूचना का अधिकार के अन्तर्गत जारी प्रति

जेडीए के इस रोस्टर मे न्यू इंडियन एक्सप्रेस का नाम नहीं होने के बावजूद इसे करोड़ों रुपयों के विज्ञापन दिये गए है|

पोर्टल के चीफ एडिटर की अनुमति पश्चात कोई भी समाचार पत्र-पत्रिका,न्यूज एजेंसी इस रिपोर्ट या इसके अंश को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है|